भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 3124
गुरुवार, 6 अगस्त, 2026/15 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे का विस्तार

3124. कैप्टन बृजेश चौटाः
क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने विमानन कौशल एवं रखरखाव पारिस्थितिकी तंत्र और मंगलुरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की वर्तमान परिचालन, यातायात, सुविधा एवं प्रस्ताव संबंधी स्थिति की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के यात्री एवं कार्गो यातायात आंकड़ों, क्षमता, स्वीकृतियों, निवेशों और सेवा संकेतकों का ब्यौरा क्या है;
(ग) विमानन पारिस्थितिकी तंत्र और हवाईअड्डे की क्षमता के विस्तार को प्रभावित करने वाली अवसंरचनात्मक, नियामक, एयरलाइन, भूमि, कौशल और समन्वय संबंधी बाधाओं का ब्यौरा क्या है; और
(घ) मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए समयबद्ध सुविधा और क्षमता संवर्धन योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): सरकार ने देश में विमानन कौशल और विमान अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं।

केंद्रीय बजट 2026-27 के भाग के रूप में, विमानों के विनिर्माण और ऐसे विमानों के लिए आवश्यक कलपुर्ज़ों के निर्माण हेतु इंजन सहित घटकों या कलपुर्ज़ों पर 'शून्य' बेसिक सीमा शुल्क (बीसीडी) प्रदान किया गया है। इसके अलावा, विमान एमआरओ के लिए आवश्यक कलपुर्जों, परीक्षण उपकरणों, टूल और टूल किट पर पर बीसीडी छूट को 31 मार्च, 2028 तक बढ़ा दिया गया है। इन पहलों के परिणामस्वरूप, भारत में घरेलू एमआरओ की संख्या वर्ष 2014 में 96 से मार्च 2026 तक बढ़कर 164 हो गई है।

सरकार ने देश में पायलट प्रशिक्षण क्षमता और अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए भी उपाय किए हैं। नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर) खंड 7, श्रृंखला घ, भाग I में विमान: प्रशिक्षक: कैडेट का अनुपात 1:1:10 निर्धारित है, जो किसी भी समय अनुमोदित एफटीओ में लगभग 3500 कैडेटों की प्रशिक्षण क्षमता के अनुरूप है। किए गए उपायों में शामिल हैं:

(i) उड़ान प्रशिक्षण संगठनों के लिए अनुमोदन और निरीक्षण प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित करना।

(ii) दक्षता में सुधार और प्रशिक्षण संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए प्रशिक्षण विनियमों में संशोधन करना।

(iii) पायलट प्रशिक्षण में गुणवत्ता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एफटीओ के लिए एक रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत करना।

(iv) उड़ान घंटों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, वर्ष 2025 के उड़ान प्रशिक्षण परिपत्र 01 के तहत उड़ान दृश्यता मानदंड को पूर्व के 5 किमी से 3 किमी तक सशर्त संशोधित करना।

(v) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सीएआर खंड 7, सीरीज I, भाग V और नामोदिष्ट परीक्षक मैनुअल को संशोधित किया है, जिसमें परीक्षक कार्य को प्रमाणित उड़ान प्रशिक्षक (सीएफआई)/उप-सीएफआई की भूमिका से डीलिंक किया गया है, उड़ान प्रशिक्षक रेटिंग की जांच एफटीओ को सौंपी गई है, योग्य परीक्षक पूल का विस्तार किया गया है, और सीएफआई, उप-सीएफआई और नामोदिष्ट परीक्षक के लिए मौखिक परीक्षा के दूसरे प्रयास में शामिल होने के लिए कूल-ऑफ अवधि को घटाकर 30 दिन कर दिया गया है।

(vi) सहायक उड़ान प्रशिक्षकों (एएफआई) और उड़ान प्रशिक्षकों (एफआई) के लिए मौखिक परीक्षाओं/बोर्डों की आवृत्ति को मासिक आधार पर बढ़ा दिया गया है।

विमानन मैनपावर के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को, डीजीसीए-अनुमोदित प्रशिक्षण और प्रक्रिया मैनुअल, आवधिक पाठ्यक्रम संशोधन सहित उद्योग हितधारकों के साथ सक्रिय सहयोग के माध्यम से विमानन क्षेत्र की उभरती कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप किया गया है। डीजीसीए द्वारा अपेक्षाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और उन्हें अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) फ्रेमवर्क के अनुरूप रखा जाता है।

(ख): मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2.56 मिलियन यात्रियों, 18917 हवाई यातायात संचलनों (एटीएम) और 5851.74 टन कार्गो को हैंडल किया है। इस हवाईअड्डे की यात्री प्रबंधन क्षमता 3.2 मिलियन यात्री प्रति वर्ष (एमपीपीए) है। इस हवाईअड्डे को एसीआई स्तर 5 ग्राहक अनुभव प्रत्यायन से अवॉर्ड किया गया है और हवाईअड्डा सेवा गुणवत्ता (एएसक्यू) सर्वेक्षण रेटिंग के आधार पर 'आगमन के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाईअड्डे' के रूप में मान्यता भी दी गई है।

(ग): मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे में 2330 मीटर * 45 मीटर लंबा रनवे (06-24), 48572 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल के साथ एक नया एकीकृत टर्मिनल भवन और 9000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाला एक एकीकृत कार्गो टर्मिनल है। वर्तमान में इस हवाईअड्डे पर एअर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। वर्तमान में इस हवाईअड्डे के पास 583.77 एकड़ भूमि है।

(घ): हवाईअड्डों का विस्तार और आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है जिसे हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा भूमि की उपलब्धता, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, सामाजिक-आर्थिक सरोकारों और यातायात की मांग या परिचालन आरंभ करने या बढ़ाने के लिए एयरलाइनों की स्वेच्छा के आधार पर किया जाता है।
